न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

नजरसानी प्रार्थना पत्र एल.आर. एक्ट संख्या 94/2021/(2021/00094) जिला–अजमेर

बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री गंगाराम, जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों का मौहल्ला, अंराई रोड़, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

–––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला, अजमेर

––––अप्रार्थी

–––

नजरसानी अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध निर्णय दिनांक 24–03–2021 संभागीय आयुक्त अजमेर अन्तर्गत अपील संख्या 20/2020 बउनवान बाबूलाल बनाम सरकार

––––

उपस्थित–
1. श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः–

प्रार्थी द्वारा संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24–03–2021 अन्तर्गत अपील संख्या 20/2020 बउनवान बाबूलाल बनाम सरकार से व्यथित होकर यह नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

नजरसानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने ग्राम किशनगढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1941 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि रेकार्डेड खातेदार अनोप खां वल्द बख्तावर खां कौम मुसलमान से दिनांक 21–8–1998 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जो उपपंजीयक किशनगढ़ के यहां रजिस्टर्ड हुआ। प्रार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय शुदा आराजी का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु पटवारी हल्का को दस्तावेज प्रस्तुत किये जिस पर पटवारी हल्का ने विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 भरकर समस्या समाधान शिविर में पेश किया जिस पर संबंधित शिविर प्रभारी ने बिना किसी कारण व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण पर नोट ''The case is subjuduce hence rejected '' का अंकन

कर नामान्तरकरण खारिज कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 26–11–2019 से प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर निर्णय दिनांक 24.03.2021 से अपीलार्थी की अपील को सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाने तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 24.03.2021 से व्यथित होकर प्रार्थी/नजरसानीकर्त्ता द्वारा यह नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

नजरसानी प्रार्थना पत्र Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2021 की सूचना प्रार्थी के कथनानुसार अभिभाषक से जरिये डाक पत्र प्राप्त हुई किन्तु तत्समय कोरोना महामारी एवं लॉकडाऊन के कारण प्रार्थी अपने अभिभाषक से नहीं मिल सका। लॉकडाऊन खत्म होने पर प्रार्थी अजमेर आया और अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर यह नजरसानी प्रार्थना पत्र तैयार करवाकर बिना किसी विलम्ब के पेश किया है। न्यायहित में कोरोना महामारी एवं लॉकडाऊन के कारण नजरसानी पेश करने में जो विलम्ब हुआ है वह विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत नजरसानी को अन्दर मियाद शुमार करते हुये नजरसानी की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी/प्रत्यर्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी बिना किसी ठोस सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है जिसमें अप्रार्थी/प्रत्यर्थी को कामयाबी मिलने की कोई आशा नहीं है। इसलिये इस नजरसानी प्रार्थना पत्र को प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही मेरिट पर निर्णय करते हुये सव्यय खारिज किया जावे। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से

खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत विलम्बित अवधि के प्रत्येक दिवस का हिसाब देने पर ही विलम्ब क्षमा योग्य है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा अप्रार्थी/प्रत्यर्थी अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार तथा कोरोनाकाल में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु दी गई छूट के आधार पर प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि माननीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.03.2001 न्याय, नियम व रेकार्ड से विपरीत होने से निरस्तनीय है। तहसीलदार, किशनगढ़ ने नामान्तरकरण निरस्त करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपनी मनमर्जी से सरसरी तौर पर नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। न्यायालय के समक्ष रेकार्ड पर ऐसे कोई साक्ष्य व सबूत नहीं है जिससे साबित होता है कि प्रार्थी को नामान्तरकरण के वक्त सुना गया हो। इसके उपरान्त भी न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो ऐरर ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी ने इन तथ्यों को कहीं भी स्वीकार नहीं किया कि सक्षम शिविर प्रभारी द्वारा समस्त तथ्यों की जांच के उपरान्त ही समस्या समाधान शिविर में आक्षेपित नामान्तरकरण खारिज किया है। सक्षम अधिकारी के पास ऐसा कोई सबूत व साक्ष्य नहीं था जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि पर कोई प्रकरण, वाद आदि विचाराधीन हो तत्पश्चात् भी रेकार्ड के विपरित जाकर मात्र कयास के आधार पर यह फाइण्डिग दी गई कि '' तत्समय विवादित भूमि बाबत कोई वाद विचाराधीन हो इससे इन्कार नहीं किया जा सकता'' जो रेकार्ड पर उपलग्ध साक्ष्य व दस्तावेजों के विपरीत ऐरर ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने से निरस्तनीय है।

दौराने बहस प्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्स व सबूत नहीं था जिससे यह माना जा सके कि वक्त तस्दीक नामान्तरकरण सं0 390 दिनांक 25.08.1988 प्रार्थी को अवसर दिया गया हो या

प्रार्थी के समक्ष नामान्तरकरण निरस्त किया गया हो। माननीय न्यायलय ने मात्र कयास के आधार पर ''अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया मानने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण मजमे आम में प्रकरण सबज्युडिस होने से अपीलार्थी के समक्ष ही निरस्त किया गया है।'' मानकर प्रार्थी की अपील खारिज करने का निर्णय ऐरर ऑन दी फेस ऑफ रेकार्ड होने से निरस्तनीय है। न्यायालय ने रेकार्ड के विपरित जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के खण्डन में राज्य सरकार द्वारा कोई जवाब व काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया इसके बावजूद भी प्रार्थी के अपील के अभिकथनों के खण्डन व काउन्टर शपथ पत्र के बिना गलत एवं अविधिक रूप से प्रार्थी की अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दी गई जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है तथा पटवारी हल्का द्वारा भी नामान्तरकरण की पुस्त के कॉलम संख्या 1 लगायत 16 में ऐसा कोई विवाद बाबत नोट अंकित नहीं किया है। इसके बावजूद भी मनमर्जी से बिना कोई जांच किये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण विधिविपरीत जाकर निरस्त किया गया। तहसीलदार, किशनगढ़ ने बिना आई.एल.आर से रिपोर्ट लिये अपनी मनमर्जी से नामान्तरकरण को सरसरी तौर पर सबज्यूडिस मानते हुए निरसत कर दिया। प्रार्थी विवादित भूमि पर खरीद दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है। खसरा नम्बर 1941 के बाबत किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद लम्बित नहीं है ओर न ही किसी सक्षम न्यायालय का पूर्व में कोई स्थगन जारी था ना ही आज कोई आदेश है। उक्त नामान्तरकरण बाबत किसी तृतीय पक्षकार का किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण विवादित होकर धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जिससे अपीलार्थी को वक्त नामान्तरकरण नोटिस, सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर निर्णय दिनांक 24.03.2021 पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी की नजरसानी स्वीकार कर संभागीय आयुक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.03.2021 को निरस्त फरमाया जावे एवं जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2019 निरस्त कर व नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 निरस्त कर प्रार्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थी/अपीलाथ्री अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कुछ न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया यथा :–

1- 2021(1) DNJ(REV.) PAGE 617

2- 2018 DNJ (S.C.) PAGE 411
3- 2017 DNJ (REV.) PAGE 187
4- (2013) 8 SUPREME COURT CASES PAGE 320
5- RRD 1963 PAGE 301
6- RBJ(10) 2003
7- RRT 2010 (1) PAGE 223
8- RBJ (14) 2007 PAGE 139
9- RBJ (14) 2007 PAGE 267

अप्रार्थी/राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थी/अपीलार्थी की बहस के जबाब में अपनी बहस में अपने लिखित जबाब में अंकित कथनों को ही कमोबेश दोहराते हुये कथन किया कि संभागीय आयुक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.03.2021 स्पष्ट व विधि अनुसार सक्षम नियमों रेकार्ड व दस्तावेजों के आधार पर ही पारित किया गया है जिससे प्रस्तुत नजरसानी प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। पारित निर्णय दिनांक 24.03.21 में स्पष्ट किया गया है कि नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी भी पक्षकार के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। अपीलार्थी को अपने हक व स्वामित्व को स्थापित करने के लिए सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि यदि अपीलार्थी को विवादित आराजियात बाबत हक अधिकार प्राप्त करने है तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 के विरूद्ध अपील लगभग 21 वर्ष की लम्बी अवधि गुजरने के बाद प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिवस की थी। तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा समस्या समाधान शिविर में उक्त नामान्तरकरण प्रकरण सबज्युडिस होने से तत्समय ही खारिज कर दिया गया। इसकी जानकारी प्रार्थी को तत्समय ही हो गई थी। तत्समय विवादित आराजियात बाबत वाद विचाराधीन होने के आधार पर ही प्रश्नगत नामान्तरकरण खारिज किया गया था। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2019 भी विधिसम्मत है। प्रस्तुत नजरसानी बिना किसी ठोस आधार पर अप्रार्थी को हैरान परेशान करने व अविधिक लाभार्जन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई तथा नजरसानी प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग व प्रकरणों की बाहुल्यता को बढ़ाना है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र में सफल होने के लिये नजरसानी अधीन निर्णय को देखने मात्र से त्रुटि होना आवश्यक है। ऐसी त्रुटि जो कि स्वयं प्रमाणित नहीं है एवं जिसका निर्धारण तर्कसंगत प्रक्रिया से करना होता है, वह अभिलेख को देखने मात्र

से प्रकट होने वाली त्रुटि की परिधि में नहीं आती है। किसी भी निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण एकबारगी गलत हो सकता है किन्तु वह नजरसानी का आधार नहीं हो सकता है। अतः प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी/राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि यदि प्रार्थी/अपीलार्थी को न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांकित 24.03.2021 से कोई ऐतराज अथवा व्यथा है तो वह इस बाबत संबंधित सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय में चाराजोही कर अपील के माध्यम से निर्णय दिनांक 24.03.2021 को चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा आलौच्य निर्णय दिनांक 24.03.2021 व संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 विवादित भूमि बाबत प्रकरण ''The case is subjuduce hence rejected '' का अंकन कर खारिज किया गया था। विवादित भूमि खसरा नं0 1941 के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई वाद–विवाद लंबित होने, स्थगन जारी होन अथवा अन्य किसी प्रकार के आदेश होने जो कि विवादित भूमि बाबत कोई प्रकरण/वाद विचाराधीन होना सिद्ध करते हो इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज रेकार्ड में मौजूद नहीं है ओर ना ही किसी पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र/जबाब प्रार्थना पत्र अथवा दौराने बहस ही प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण प्रकरण The case is subjuduce किस प्रकार है ? यह स्पष्ट नहीं होता है। प्रकरण सबज्यूडिस होने के संबंध में प्रार्थी को पर्याप्त सुनवाई व साक्ष्य का अवसर भी दिया जाना न्यायहित में प्रार्थी के हितों के बचाव हेतु न्यायोचित होता। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का सम्मान अवलोकन किया गया जो तथ्यपरक समानता के कारण प्रस्तुत प्रकरण में यथास्थान चस्पा होते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 24–03–2021 अन्तर्गत अपील संख्या 20/2020 बउनवान बाबूलाल बनाम सरकार एवं जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक

26–11–2019 व तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 25–8–1998 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार किशनगढ़ को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में प्रार्थी/अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान कर व लिखित एवं दस्तावेजी साक्ष्य लेकर विवादित भूमि बाबत किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई वाद अथवा स्थगन विचाराधीन/लंबित होने अथवा नहीं होने की पूर्ण जांच कर दिनांक 21–8–1998 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की आराजी बाबत न्यायोचित निर्णय पारित करे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर